

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—75/2020 (2020/00277) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रेखा गुर्जर पिता गोमा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नैनादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. आईसीआईसीआई बैंक कोशीथल शाखा प्रबन्धक कोशीथल तह.सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 13.07.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.03.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाकाखेड़ा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 139 रकबा 0.31 कुल किता 1 कुल रकबा 0.31 है 0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 4/15 हिस्से का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 25.03.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 139/1 रकबा 0.10 है 0 भूमि रेखा पिता गोमा गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 139/2 रकबा 0.21 है 0 भूमि नैनादास पिता मोहनदास 3/5, हीरादास पिता मोहनदास 2/5 बैरागी सा देह खातेदार के नाम रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
13.7.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड) अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—75/2020 (2020/00277) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. रेखा गुर्जर पिता गोमा गुर्जर निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नैनादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरादास पिता मोहनदास बैरागी निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. आईसीआईसीआई बैंक कोशीथल शाखा प्रबन्धक कोथीथल तह.सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 139/1 रकबा 0.10 है० भूमि रेखा पिता गोमा गुजर सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 139/2 रकबा 0.21 है० भूमि नेनादास पिता मोहनदास 3/5, हिरादास पिता मोहनदास 2/5 बैरागी सा देह खातेदार के नाम रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.07.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
13-07-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा